

Siwān

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227904
ग्रा.वि.- 14(सा0)सि0-02/2015

पटना, दिनांक 13-04-2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिवान से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विषयांकित अवधि में सिवान जिले में पदस्थापित उप विकास आयुक्त एवं विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से विषयांकित मामले में स्पष्टीकरण पूछा जाना है। लेकिन कुछ पदाधिकारियों के वर्तमान पदस्थापन की जानकारी उपलब्ध नहीं रहने के कारण स्पष्टीकरण पूछना संभव नहीं हो पा रहा है। इन पदाधिकारियों एवं संबंधित प्रखण्ड की सूची निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	जिला	संबंधित प्रखण्ड/डी0आर0डी0ए0	पदाधिकारी का नाम
1.	सिवान	उप विकास आयुक्त	श्री जयमंगल पासवन
2.	सिवान	पचरूखी (प्र0वि0पदा0)	श्री अहमद महबूब
3.	सिवान	हुसैनगंज (प्र0वि0पदा0)	श्री अनिल कुमार यादव
4.	सिवान	लकड़ी नवीगंज (प्र0वि0पदा0)	श्री कृष्णा प्रसाद

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों की वर्तमान पदस्थापन संबंधी जानकारी एक सप्ताह के अन्दर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,
प्रदीप कुमार
(प्रदीप कुमार)
सचिव

SARAN

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227998

पटना, दिनांक 13-04-2015

ग्रा.वि.- 14(सा0)सि0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विषयांकित अवधि में सारण जिले में पदस्थापित उप विकास आयुक्त, श्री नृपति मण्डल, श्री शिवानन्द झा एवं श्री एस0के0 सिंह आपसे प्राप्त अनौपचारिक जानकारी के अनुसार अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, जिनसे विषयांकित मामले में स्पष्टीकरण पूछा जाना है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों की स्थायी पत्ता संबंधी जानकारी तीन दिनों के अन्दर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,



(प्रदीप कुमार)

सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 228000

पटना, दिनांक 13-04-2015

ग्रा.वि.- 14(सा0)सि0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विषयांकित अवधि में सारण जिले में विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से विषयांकित मामले में स्पष्टीकरण पूछा जाना है। लेकिन कुछ पदाधिकारियों के वर्तमान पदस्थापन की जानकारी उपलब्ध नहीं रहने के कारण स्पष्टीकरण पूछना संभव नहीं हो पा रहा है। इन पदाधिकारियों एवं संबंधित प्रखण्ड की सूची निम्न प्रकार है:-


क्रमांक	जिला	संबंधित प्रखण्ड	पदाधिकारी का नाम
1.	सारण	एकमा	श्री रविन्द्र नाथ प्रसाद सिंह
2.	सारण	तरैया	मो0 परवेज उल्लाह
3.	सारण	तरैया	श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह
4.	सारण	रिविलगंज	श्री इन्दु भूषण सहाय
5.	सारण	रिविलगंज	श्री संजय कुमार
6.	सारण	परसा	श्री अंजय कुमार राय
7.	सारण	परसा	श्री गणेश ठाकुर
8.	सारण	गरखा	श्री राजीव वर्मा
9.	सारण	मकेर	श्री गणेश ठाकुर
10.	सारण	मकेर	श्री अजय कुमार राय
11.	सारण	मकेर	श्री मदन ठाकुर
12.	सारण	लहलादपुर	श्री शिवदानी सिंह
13.	सारण	इशुआपुर	श्री महमुद आलम
14.	सारण	नगरा	मो0 शमीम अख्तर
15.	सारण	पानापुर	श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह
16.	सारण	पानापुर	श्री नवल किशोर

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित पदाधिकारियों की वर्तमान पदस्थापन संबंधी जानकारी तीन दिनों के अन्दर इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,


T.P.15
(प्रदीप कुमार)
सचिव